

कार्यालय आदेश
अतिअल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण

निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, महेन्द्रू पटना के ज्ञापांक-1212, दिनांक-13.06.2023 के आलोक में अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर में दिनांक-04.07.2023 से विभिन्न बैचों में पाँच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण होना सुनिश्चित है।

उक्त आवासीय प्रशिक्षण हेतु विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति एवं केटरिंग & टेन्ट सेवा प्रदान करने वाले GST पंजीकृत वेंडरों/एजेंसियों से दिनांक-30.06.2023 के अपराहन 5:00 बजे तक संस्थान कार्यालय में बंद लिफाफे में हाथो हाथ अथवा रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

प्रशिक्षण में विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति एवं केटरिंग & टेन्ट प्रदान की जाने वाली सेवा जिसके लिए कोटेशन आमंत्रित किया जाता है। उसकी सूची निम्न है-

क्र० सं०	मद	विवरण	
1	भोजनादि	सुबह का नास्ता (चाय सहित) दोपहर का भोजन, चाय शाम में रात्रि का भोजन, पेयजल	(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का दर GST सहित)
2	आवासन	आवासन हेतु आवश्यक सामग्री	(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का दर GST सहित)
3	प्रतिभागी शिक्षक हेतु प्रशिक्षण सहायक सामग्री	स्टेशनरी, फोल्डर फाईल, पेन, पेंसिल, रबबर इत्यादि	(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का दर GST सहित)
4	आकस्मिकता	आकस्मिकता (बैनर, I-Card Certificate स्वीपर, प्राथमिक उपचार)/दवाई/साबुन/झाडू/फिनाइल/जग/बाल्टी/हैण्ड-वास/मच्छरदानी/ऑलआउट/मच्छरअगरबत्ती/लायजॉल/फोटो कॉपी/अखबार/अध्ययन सामग्री/A4 Size Paper/Plain paper/Report, Printer Cart edge Writing/ Publication/ Drinking Water, Card Board, Sticky Notes and MTS Sound System Projector जेनरेटर प्रशिक्षण हॉल व मेस हेतु कुर्सी टेबुल, दरी इत्यादि (GST सहित नियमानुसार)	(प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन का दर GST सहित)

उपर्युक्त सामग्रियों की आपूर्ति एवं सेवा प्रदान करने वाले वेंडर/एजेंसी का चयन सामग्री के गुणवत्ता एवं कोटेशन के न्यूनतम दर पर किया जाएगा। चयनित वेंडर/एजेंसी द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपरोक्त मदों में अंकित सामग्रियों एवं सेवा की गुणवत्ता क्रय समिति द्वारा निर्धारित मानक से असंतोष अथवा त्रुटिपूर्ण रहने की स्थिति में संस्थान के प्राचार्य के द्वारा संबंधित वेंडर/एजेंसी को कभी भी आवंटित उक्त कार्य को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा। कोई भी कोटेशन की शर्तों में संशोधन अथवा इसे बिना कारण बताए रद्द करने तथा कार्य को एक से अधिक कोटेशनदाताओं के बीच बांटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा। संबंधित वेंडर/एजेंसी को कार्य आवंटित के दो दिवसों के अंदर इस संबंध में लिखित शपथ पत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रदान करना होगा।

सभी प्राप्त कोटेशनों को संस्थान की क्रय समिति के द्वारा दिनांक-01.07.2023 को अपराहन 3:00 बजे खोला जाएगा। जिसमें कोटेशन प्रदान करने वाले वेंडर/एजेंसी के संचालन अथवा इनके अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

Note:-इस कार्य हेतु एजेंसी/वेंडर के पास निम्न दस्तावेज होना अनिवार्य है-

1. GST पंजीकृत प्रमाण पत्र
2. भोजन (Food safety) एवं केटरिंग FSSAI प्रमाण पत्र
3. भोजन का प्रतिदिन का मैन्यू
4. अनुभव प्रमाण पत्र
5. पेन नंबर
6. आधार नंबर
7. बैंक खाता
8. खाद्य पदार्थ में प्रयुक्त होने वाले सामग्रियों का बांड का पत्र

नोट:-विस्तृत जानकारी www.ctebhagalpu.in पर प्राप्त की जा सकती है।



प्रभारी प्राचार्य
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
भागलपुर